

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्धुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

22/2025

सुभाष बनाम अजय वर्ग 0

पीठासीन अधिकारी को ओर से एडवोकेट शिवनारायण सिंह तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट अनिल कुमार उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.05.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण के बीच किया जाकर राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा तहसील झुन्धुनू में स्थित भूमि खसरा नं. रकबा 1.20 है 0 व खसरा नं. 633/216 रकबा 2.16 है 0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव जन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार को वहन करें।

आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी झुन्धुनू  
झुन्धुनू (राज.)

वाद के खर्चे

प्रतिवादी	रूपया	रूपया
जर्जी दावा कालतनामा	2	स्टाम्प वकालतनामा
नामा वकील वाहान मिशनर	1	स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर
इजराय हुकमनामा	1000	बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक
	1003	योग

(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी झुन्धुनू (राज.)